कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

निर्णय दिनांक :– 04·01·2021

मिसल संख्या – 90 / 2020

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. बद्रीलाल पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. प्रेमचन्द पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. रामरतन पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. महावीर पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. गीता देवी पुत्री नाथूलाल जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. कैलाशी पुत्री नाथूलाल जाति कुम्हार निवासी देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना–पत्र पत्थगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार आराजी **खाता संख्या 205 खसरा नं0 904 रकबा 0.77 है0, 905 रकबा 0.54 है0** वाके ग्राम देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबन्दी सम्वत **2071–2074** में अंकित **खाता संख्या 205 खसरा नं0 904 रकबा 0.77 है0, 905 रकबा 0.54 है0** वाके ग्राम देवडावास की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार दूनी को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/– रू0 निर्धारित की जाकर एततद्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

(भारत भूषण गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली